POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 08.09.2023

1.थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा, फर्जी आधार कार्ड व पैन कार्ड बनाकर, फर्जी अकाउंट खोलकर लाखो रूपये का लोन दिलाने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 08.09.2023 को थाना सेक्टर 63, नोएडा पुलिस द्वारा, फर्जी आधार कार्ड व पैन कार्ड बनाकर तथा उसी आधार कार्ड व पैन कार्ड पर फर्जी एकाउन्ट खोलकर उन खातो में लाखो रूपये का लोन दिलाने वाले 03 अभियुक्तों संजीत कुमार, जितेंन्द्र शर्मा, आकाश कुशवाहा को टाटा मोटर्स डी ब्लाक से गिरफ्तार किया गया| अभियुक्तों द्वारा एक व्यक्ति के दो-दो आधार कार्ड बनाते है तथा उन फर्जी आधार कार्ड से नये नाम के पैन कार्ड भी बनाये जाते है किसी अन्य व्यक्ति की आँखो के रैटिना लेकर नाम मे या पिता के नाम मे बदलाव कर नया दूसरा आधार कार्ड बना देते है। अभियुक्तगण द्वारा तैयार हुये आधार कार्डो को ग्राहको को पहुँचाते है, जिन लोगो को किसी भी प्रकार के लोन की आवश्यकता होती है और उनका किसी कारण से बैको में सिविल खराब होता है। अभियुक्तगण उनके नाम आदि में बदलाव कर फर्जी आधार कार्ड तैयार कर देते है, जिससे वे लोग पुनः बैंको से लोन आदि प्राप्त कर सकते है इस प्रकार का एक फर्जी आधार कार्ड तैयार करने के हम 5 से 10 हजार रूपये लेते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1- संजीत कुमार पुत्र रविन्द्र कुमार निवासी ग्राम पकड़ी पोस्ट लालगंज थाना लालगंज जिला वैशाली बिहार हाल पता सीएस 2 अर्थकोन अपार्टमेन्ट सैक्टर 106 भंगेल थाना फेस 2 नोएडा
2- जितेन्द्र शर्मा पुत्र धर्मवीर शर्मा निवासी दरियापुर पोस्ट सालपुर थाना टप्पल जिला अलीगढ़ हाल पता डी 57 सैक्टर 15 थाना फेस 1 नोएडा
3- आकाश कुशवाहा पुत्र रमेश चन्द्र कुशवाहा निवासी ग्राम नगला गोकुल पोस्ट बरहन तहसील थाना एतमादपुर जिला आगरा

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1- मु0अ0सं0 419/23 धारा 420,468,471, 34 भादवि थाना सै0 63 नोएडा गौतमबुद्ध नगर

बरामदगी का विवरण--

1- 06 लेपटॉप (भिन्न भिन्न कम्पनी)
2- 11 टेबलेट
3- 01 वैब कैम कैमरा
4- 02 आई स्कैनर मशीन
5- 02 बायो मेट्रिक मशीन
6- आधार कार्ड की छायाप्रति यानि दो-दो बार बने हुए व 06 आधार कार्ड अलग अलग नाम से
7- 01 सिलिकान का अंगुठा निशान व भारी मात्रा मे आधार कार्ड व पैन कार्ड बनाने के प्लास्टिक स्मार्ट कार्ड
8- 08 फिंगर प्रिन्ट स्कैनर/ थम्ब स्कैनर मशीन

2.थाना बादलपुर पुलिस द्वारा, हत्या के प्रकरण में वांछित 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से एक पिस्टल .32 बोर, एक देशी तमंचा 315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस, एक चाकू व घटना में प्रयुक्त एक मो0सा स्पलैण्डर प्लस रंग काला बिना नम्बर प्लेट के बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनाँक 05/09/2023 को थाना बादलपुर क्षेत्र की ब्रज विहार कालोनी छपरौला में एक महिला की दो अज्ञात मोटरसाईकिल सवार बदमाशो ने दिन दहाडे गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद वादी द्वारा अपनी पत्नी सोनी उम्र 27 वर्ष की हत्या के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 263/2023 धारा 302/120बी भादवि बनाम विनोद ठाकुर पंजीकृत कराया था। थाना बादलपुर पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये **दिनांक 08/09/2023** को बिसरख रोड पर रेलवे ट्रैक के ऊपर निर्माणाधीन फ्लाई ओवर के पास से वांछित अभियुक्तगण 1. सचिन पुत्र प्रहलाद यादव 2. उमेश उर्फ कल्लू पुत्र अनार सिंह को **गिरफ्तार किया** गया। बाद गिरफ्तारी हत्या की घटना से सम्बन्धित पूछताछ के क्रम में अभियुक्त सचिन उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 05/09/2023 को जिस महिला की हत्या हमने की थी उसकी सुपारी उसकी सास गीता देवी पत्नी भीम प्रसाद निवासी बहरामपुर निकट गीतांजली पब्लिक स्कूल तिगडी थाना क्रासिंग जिला गाजियाबाद ने दी थी जिसके बाद प्रकाश में आयी अभियुक्ता गीता देवी उपरोक्त को पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सचिन उपरोक्त द्वारा बताया गया कि हत्या की घटना में प्रयुक्त पिस्टल मैने दुरियाई गिरधरपुर रोड पर बम्बा पुलिया के पास कच्चे रास्ते पर सहतूत के पेड के नीचे झाडियो में छिपा दिया था जिसको मैं चलकर बरामद करा सकता हूँ। आला कत्ल की बरामदगी हेतु सचिन के द्वारा बताये गये स्थान पर ले जाया गया, सचिन ने आगे चलकर आलाकत्ल की बरामदगी के दौरान साथ में चल रहे उ0नि0 अरविंद तरार की सरकारी पिस्टल उनके हालिस्टर से निकाल कर भागने की कोशिश की तथा पिस्टल से पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया कि जवाबी फायरिंग में अभियुक्त सचिन उपरोक्त गोली लगने से घायल हो गया व अभियुक्त से आला कत्ल पिस्टल की बरामदगी की गयी। अभियुक्त सचिन उपरोक्त को उपचार हेतु सीएचसी बादलपुर भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण/अभियुक्ता का विवरण--

1. सचिन पुत्र प्रहलाद यादव निवासी ग्राम चिपियाना खुर्द नियर सिटी साईन स्कूल थाना बिसरख जिला गौतमबुधनगर
2. उमेश उर्फ कल्लू पुत्र अनार सिंह निवासी पुराना हैबतपुर थाना बिसरख जिला गौतमबुद्धनगर,
3. गीता देवी पत्नी भीम प्रसाद निवासी बहरामपुर निकट गीतांजली पब्लिक स्कूल तिगडी थाना क्रासिंग जिला गाजियाबाद,

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

अभियुक्त सचिन उपरोक्त--

1. मु0अ0सं0 183/2020 धारा 307/323/34/504 भादवि थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 263/2023 धारा 302/120बी भादवि थाना बादलपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 267/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 268/2023 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त उमेश उर्फ कल्लू उपरोक्त--

1. मु0अ0सं0 263/2023 धारा 302/120बी भादवि थाना बादलपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 267/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

अभियुक्ता गीता देवी उपरोक्त--

1. मु0अ0सं0 263/2023 धारा 302/120बी भादवि थाना बादलपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. एक पिस्टल .32 बोर, एक देशी तमंचा 315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस, एक चाकू व घटना में प्रयुक्त एक मो0सा स्पलैण्डर प्लस रंग काला बिना नम्बर प्लेट के बरामद।